संख्या 45/57/97-पी॰एड पी॰डब्ल्यू॰(सी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 19 दिसम्बर, 1997

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन- केन्द्रीय-सरकार-स्वास्थ्य योजना के दायरे से बाहर, किसी अन्य इलाके में रहने वाले केन्द्र सरकार के पेंशन-भोगियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में 100 रुपये प्रति माह की दर पर एक नियत राशि की मंजूरी ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय, जिसे इस विभाग के दिनांक 30.9.1997 के संकल्प संख्या 45/86/97-पी॰एड पी॰ डब्ल्यू॰(ए) में घोषित किया था, के अनुसार राष्ट्रपति, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय-सरकार-स्वास्थ्य योजना तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संचालित अन्य तदनुरूपी स्वास्थ्य योजनाओं के दायरे से बाहर किसी अन्य इलाके में रहने वाले पेंशन-भोगियों को दिन-प्रतिदिन की चिकित्सा, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं हो, से संबंधित व्यय वहन करने के लिए चिकित्सा-भत्ते के रूप में 100 रुपये प्रति माह की दर पर एक निश्चित राशि दिए जाने को मंजूरी प्रदान करते है ।

2. ये आदेश केन्द्र सरकार के उन पेंशन-भोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों पर लागू होंगे जो सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 अथवा इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व लागू अन्य तदनुरूपी नियमों द्वारा शासित होते थे तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधाओं के पात्र है । सशस्त्र बलों, अखिल भारतीय सेवाओं तथा रेलवे के पेंशन भोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों के सदस्यों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

3. वर्तमान भोगियों तथा भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को, केन्द्रीय-सरकार स्वास्थ्य-योजना अथवा उनके संबंधित मंत्रालय /विभाग द्वारा संचालित ऐसी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए अथवा 100 रुपये प्रति माह की दर से नियत चिकित्सा भत्ते का दावा करने के लिए, एक ही बार विकल्प देना होगा । भविष्य में

....2/-

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में यह विकल्प पेंशन के अन्य दस्तावेजों के साथ कार्यालयाध्यक्ष को दिया जाएगा तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा चिकित्सा भत्ते का विकल्प देने की स्थिति में पेंशन भुगतान आदेश की दोनों प्रतियों में इस आशय की विशिष्ट प्रविष्टि की जाएगी । केन्द्रीय-सरकार-स्वास्थ्य-योजना के अथवा अन्य चिकित्सा प्राधिकारी, पेंशनभोगी को कार्ड जारी करते समय, इस प्रकार की स्थिति की जांच पेंशन भुगतान आदेश से करेंगे तथा तदनुसार उसको दी जाने वाली सुविधाओं को सीमित करेंगे अर्थात् कार्ड केवल अन्तरंग/बहिरंग मरीजों जैसा भी मामला हो, के उपचार के लिए वैध है ।

4. वर्तमान पेंशन भोगियों के मामले में, यदि वे चिकित्सा भत्ते का विकल्प देते हैं तो इस आशय का दावा करने वालों को इस तरह का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे केन्द्रीय-स्वास्थ्य-सेवा योजना अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं, लेकिन ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ इस तरह की बहिरंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । इस वचन पत्र के आधार पर पेंशन वितरण अधिकारी संबंधित व्यक्ति के पेंशन भुगतान आदेश की दोनों प्रतियों में चिकित्सा भत्ता दिए जाने का उल्लेख करेगा तथा चिकित्सा भत्ते के भुगतान को प्राधिकृत करेगा । इस तरह का वचन पत्र, पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य प्रमाण-पत्रों सहित बैंक, विभागीय वेतन तथा लेखा अधिकारी तथा कोषागार में पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा । जैसे ही पेंशन भोगी/कुटुम्ब पेंशन-भोगी को दिए जाने वाले चिकित्सा भत्ते को पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस आशय की सूचना केन्द्रीय वेतन तथा लेखा अधिकारी/संबंधित वेतन तथा लेखा अधिकारी को निर्धारित प्रोफार्मा में दे दी जाएगी ।

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/अन्य संबंधित मंत्रालय, पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले औषधालयों को, आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे कि वे पेंशन भोगियों के पेंशन भुगतान आदेश जारी करें तथा केन्द्रीय-सरकार स्वास्थ्य-योजना के अथवा अन्य किसी योजना के कार्ड में तदनुसार प्रविष्टि करें ।

6. पेंशन भोगी को इस राशि का भुगतान पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के साथ मासिक आधार पर किया जाएगा ।

7. चिकित्सा भत्ते का भुगतान "पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं" के अन्तर्गत उप-शीर्ष के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा तथा इस आशय के लिए कोई अलग से शीर्ष नहीं खोला जाएगा ।

8. ये आदेश 1.12.97 से लागू होंगे ।

9. जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के सेवानिवृत्त हो के/सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श के पश्चात् जारी किए गए हैं ।

ह०/-
(एस० लक्ष्मीनारायणन)
अपर सचिव (पेंशन)

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति प्रेषित :-
(संलग्न सूची के अनुसार)